भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4799

(शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/2 चैत्र, 1940 (शक) को दिया गया)

एनएफआरए

4799. श्री एस. आर. विजय कुमारः
प्रो. साधु सिंहः
श्री वाई. वी. सुब्बा रेड्डीः
श्री टी. राधाकृष्णनः
डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ः
श्री बलका सुमनः
श्रीमती कविता कलवकुंतलाः
कुँवर हरिवंश सिंहः
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबूः
श्रीमती अंजू बालाः
श्री विद्युत वरण महतोः
श्री तेज प्रताप सिंह यादवः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री नारणभाई काछड़ियाः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश से भागने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों को लक्षित करने और सनधि लेखाकारों (सीए) और ऑडिट फर्मों हेतु विनियम बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनएफआरए के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) भारतीय सनधि लेखाकार संस्थान में कितने मामले लंबित हैं;
(ग) क्या कम्पनी अधिनियम में एनएफआरए का प्रावधान है और यदि हां, तो इसे अब तक अधिसूचित नहीं करने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां संपरीक्षा व्यवसाय को अभी भी स्वनियमित माना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) एनएफआरए के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और सीए की कमियों का पता लगाने और उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (ङ): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 132 की उप-धारा (2) के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

(i) कंपनियों या कंपनी की श्रेणियों या उनके लेखा परीक्षकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा पालन किए जाने हेतु लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियां और मानक तैयार करना और कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;
(ii) लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों में विहित रीति अनुसार, अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करना;
(iii) ऐसे मानकों के अनुपालन की सुनिश्चितता से जुड़े हुए व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करना और सेवा की गुणवत्ता और ऐसे अन्य संबंधित मामले, जैसा कि मानकों में विहित हो, को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षित उपाय सुझाना; और
(iv) खंड (i), (ii) और (iii) से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करना, जैसे कि विहित किए जाएं।

उक्त धारा की उप-धारा (4) के अनुसार, एनएफआरए के पास किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य या किसी फर्म द्वारा किए गए व्यावसायिक या अन्य कदाचार की जांच करने और व्यावसायिक या अन्य कदाचार प्रमाणित होने पर उस सदस्य या फर्म, जैसा भी मामला हो, पर आर्थिक जुर्माना लगाने और प्रैक्टिस से बहिष्कृत करने का अधिकार होगा।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 12.03.2018 तक 283 मामले आवर्तक प्रक्रिया संबंधी स्तरों पर लंबित हैं, 654 मामले प्रथम दृष्या मत स्तर पर हैं, 313 मामले अनुशासन बोर्ड और/या अनुशासनिक समिति के समक्ष रखे जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे 397 मामले ऐसे हैं जिनमें प्रतिवादी, अनुशासन बोर्ड और या अनुशासनिक समिति द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अधीन संशोधित किया गया था, की धारा 141 के अनुसार, किसी कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी या उसकी अनुषंगी कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धारा 144 में संदर्भित किसी प्रकार की सेवा करने वाला व्यक्ति किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग ने यह सूचित किया है कि आर्थिक अपराधियों सहित, बड़े अपराधियों द्वारा कानून की पहुंच से बचने के लिए देश से फरार होने के दृष्टांत देखे गए हैं और तद्नुसार सरकार ने 12 मार्च, 2018 को लोक सभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 ("विधेयक") रखा है। इस विधेयक से भगोड़ा आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रह कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोका जा सकता है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ भगोड़ा आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उपस्थित करने के विचार से, भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के अपराध से प्राप्त आय और संपत्तियों की शीघ्र ज़ब्ती का प्रावधान है।

*****